न्या. उपखण्ड अधिकारी उच्चैन प्र.सं. 63/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गजेन्द्रसिंह बनाम महाराजसिंह वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश दिनांक 6/11/24 को पेश हो Rahul	
6/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 13/11/24 को पेश हो Rahul.	
13/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 14/11/24 को पेश हो Rahul.	
14/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 19/11/24 को पेश हो Rahul.	
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है पत्रावली [illegible] कुमार हो नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो Rahul **उपखण्ड अधिकारी** **उच्चैन (भरतपुर)**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 27/2023

1. गजेन्द्र सिंह
2. हेमसिंह पुत्रान कुमरसिंह जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. महाराजसिंह पुत्र परमाराम
2. तेजसिंह
3. वृजेन्द्र
4. मोहनसिंह पुत्रान भिखारीराम
5. विद्या पत्नी भिखारीराम
6. किशनसिंह पुत्र हरीसिंह
7. पप्पू पुत्र मंगलराम समस्त जातियान जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।
8. अमीरादेवी पुत्री नेकसिया जाति जाटव निवासी भोटौली कला तहसील भरतपुर हाल निवासी तेहराब्राह्ण तहसील उच्चैन।
9. चरनसिंह पुत्र परमाराम जाति जाटव निवासी तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र पाल एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट अप्रार्थीगण

दिनांकः— 19.11.2024

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे कास्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 565/0.41, 605/0.33, 625/0.45है0 बाके ग्राम तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन में हम प्रार्थीगण हिस्सा 2/16 के खातेदार कास्तकार है एवं खसरा नम्बर 672/0.72है0 वाके ग्राम तेहराब्राह्मण तहसील उच्चैन में हम प्रार्थीगण हिस्सा 10/96 के खातेदार कास्तकार एवं काविज आराजी है। विवादित आराजी से हम

Rahul Srivastava
19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रार्थीगण ने दिनांक 29.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 9 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है जिस समय खरीद किया था उसी रोज से अप्रार्थी संख्या 9 उक्त आराजीयात के जिस हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा था उसी स्थान पर कब्जा व काश्त हम प्रार्थीगण की रही है किन्तू अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 8 हम प्रार्थीगण के मुकाबले पैसे वाले लठैत एवं ताकतवर व्यक्ति है हम प्रार्थीगण कमजोर व्यक्ती है हम प्रार्थीगण की कमजोरी का फायदा अप्रार्थीगण उठाना चाहते है अप्रार्थीगण दिनांक 06.05.2024 को मौके पर जाकर ऐलानिया धमकी दी है कि हम अप्रार्थीगण तुम्हारे हिस्से की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करेंगे तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सम्पूर्ण खरीदशुदा आराजी पर काश्त नहीं करने देगें तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खरीदशुदा आराजी से बेदखल कर देंगे। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधज्ञा हेतू इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण के हिस्से की खरीदशुदा आराजी पर जो अप्रार्थी संख्या 9 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है जिस पर अप्रार्थी संख्या 9 काबिज था। प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार मदाखलत,मजामहत बेजा न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 ने स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मुझ अप्रार्थी का कब्जा विक्रय से पूर्व खसरा नम्बर 625 पर था एवं दिनांक 29.02.2024 को विक्रय करने के बाद इसी आराजी खसरा नम्बर 625 में ही प्रार्थीगण को कब्जा दिया था। प्रार्थीगण ने सारे तथ्य सही दर्ज कराये है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 8 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 9 के द्वारा पूर्व में करीब 20 वर्ष पहले गैर सायलान को मौखिक रूप से विक्रय कर दिया था और गैर सायल संख्या 9 के द्वारा विक्रय से प्राप्त प्रतिफल राशि से गुडगांव में मकान आदि बना लिया है और उसी समय से हम गैर सायलान आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु गैर सायल संख्या 9 परिवारीजन होने के कारण विक्रय पत्र नहीं कराया परन्तु अब गैरसायल संख्या 9 ने गलत रूप से हो रहे इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर सायलान के हक में जो विक्रय किया है वह स्वीकार नहीं है। जब गैरसायलान संख्या 9 ने उक्त आराजी को मौखिक रूप से बेचान कर दिया तो गैर सायलान संख्या 9 को आराजी को बेचने का अधिकार ही नहीं रहा तो सायलान को उक्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 9 से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 29.02.2024 को खरीदी है एवं अप्रार्थी संख्या 9 के द्वारा खसरा नम्बर 625 में हम प्रार्थीगण को कब्जा दिया है जिसके बारे में अप्रार्थी संख्या 9 के द्वारा अपने जबाव प्रार्थना पत्र में भी स्वीकार किया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 8 चालाक किस्म के व्यक्ति है और हमको विवादित आराजी से बेदखल करने को उतारू है साथ ही

Rahul Gupta
19/11/24
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कही भी कब्जा नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि आराजी खसरा नम्बर 625 का कितना हिस्सा खरीद किया है एवं प्रार्थीगण के द्वारा जितनी जमीन खरीदी है उससे ज्यादा हिस्से काविज नहीं हो सकते मौके पर प्रार्थीगण का हिस्सा खसरा नम्बर 625 में छूटा हुआ है ना ही प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह बताया कि कब्जा किस जगह लिया है। प्रार्थीगण के द्वारा झगडे की जगह को जानवुझकर खरीदा गया है एवं चोरी छिपे आकर रजिस्ट्री लिखवाई गई है अतः सहखातेदारों को पावंद किया जाना उचित नहीं है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के साथ सलंग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थीगण का कहीं भी कब्जा नहीं होना स्वीकार किया है एवं अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि मौके पर प्रार्थीगण का हिस्सा विवादित आराजी में छूटा हुआ है। मेरे विनम्र मत में यदि प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा ही नहीं है तो अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण कब्जे के आभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava 14/11/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)